



DISTRICT ELECTION OFFICE, KAITHAL
जिला निर्वाचन कार्यालय, कैथल



आदेश

लोकसभा आम चुनाव 2019 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना में सभी राजनैतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के चुनाव प्रचार में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के रेटस निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते हैं:-

क्र०स०	वस्तु का नाम	रेटस
1	गद्दे	15-00 per gadda per day
2	पोडियम	100-00 per podium per day
4	फलैंग (1.5x2)	20x30 size satan 14-00 each, (GST extra) 20x30 size roto 6-50 each (GST extra)
5	कैप	Gandhi Cap 2-50 each, (GST extra) Cricket Cap 5-00 each(GST extra)
6	पटका परना	8-50 each(GST extra) 4-50 each(GST extra)
7	लडी	400-00 (700 pices) (GST extra)
8	टी शर्ट (प्रिंटेड)	80-00 each(GST extra)
9	पगडी	140-00 each(GST extra)
10	कट ऑउट	12-00 each(GST extra)
11	क्लॉथ फ्लैंग	--
12	बिल्ला	3-00 each(GST extra)
13	क्लॉथ बैनर प्रति मीटर	5-30 sq. ft. (GST extra)
14	हॉर्डिंग	6x4 size 15-00 sq. ft. (GST extra)
15	आफिस रेट/रेन्ट	--
16	स्टीकर	7x5 size (8000) 1-25 each(GST extra)
18	फूल माला छोटी	8-00 each
19	फूल माला बडी	15-00 each

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
कैथल।

पृ०क्रमांक निर्वाचन 2019/5165

दिनांक 27-04-2019

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला के सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी।
2. सभी राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव।
3. ए.ई.ओ. टीम।
4. एकाउन्टिंग टीम।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
कैथल।